रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-12092022-238748 CG-DL-E-12092022-238748

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4071] No. 4071] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 12, 2022/भाद्र 21, 1944 NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 12, 2022/BHADRA 21, 1944

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि और किसान कल्याण विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली. 9 सितम्बर. 2022

का आ. 4252(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 12क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम धारा 3 के अधीन किए गए उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए एक विशेष आदेश के रूप में अधिसुचित करती है।

[फा. सं. 1-1/2008 उर्वरक विधि) प्रिया रंजन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare) NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 2022

S.O. 4252(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 12 A of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby notifies that the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, made under section 3 of the said Act as special order for the purposes of the said section.

[F. No. 1-1/2008 Fert. Law] PRIYA RANJAN, Jt. Secy.

6090 GI/2022